दिनांक 22.04.2021
प्रेस विज्ञप्ति 22/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मेरठ/थाना भावनपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 21.04.2021 को थाना भावनपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जेई पुलिया के पास चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त परविन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भावनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–115/2021 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व धारा 272/273/255/256/259/260/420/467/468/471/188/269/270 भादवि व 3/4 महामारी अधिनियम एवं धारा 51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भावनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–परविन्द्र निवासी सराय काजी थाना मैडिकल जनपद मेरठ।

बरामदगी–ः

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2–01 दो पहिया वाहन

जनपद शाहजहॉपुर/थाना खुदागंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22.04.2021 को थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धीमरपुर तिराहे के पास से पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू उर्फ जैनेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर व खीरी के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, व गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुदागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–71/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुदागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—सोनू उर्फ जैनेन्द्र निवासी ग्राम बरहा मोहब्बतपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी—:

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना छाता

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 21.04.2021 को थाना छाता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गौहारी के पास से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मन्नू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा व फरीदाबाद के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, चोरी, डकैती, लूट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना छाता पर पंजीकृत मु0अ0सं0—104/2021 धारा 395/504 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छाता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

1—मन्नू निवासी लीखी थाना हसनपुर जनपद पलवल, हरियाणा।

बरामदगी—:

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित कारतूस।

2—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना मसौली

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा, 06 कारतूस**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 21.04.2021 को थाना मसौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मसौली क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—विक्रम 2—बजरंग को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 06 कारतूस, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त बजरंग के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, चोरी, डकैती, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग तथा अभियुक्त विक्रम के विरूद्ध डकैती सहित हत्या, आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मसौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विक्रम निवासी जलुहामऊ थाना मसौली जनपद बाराबंकी।

2—विक्रम निवासी जुलहामऊ थाना मसौली जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र, 06 कारतूस।

2—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

एसटीएफः 08 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार

दिनांक 22.04.2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा थाना परतापुर जनपद मेरठ क्षेत्र से अवैध शराब हरियाणा मार्का की तस्करी करने वाले गैंग के 08 सदस्यों को मय **120 पेटी अवैध शराब** (मूल्य लगभग **06** लाख) **सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त** हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1. बलवान पुत्र श्रीकृष्ण नि0 म0नं0 1104 हरीनगर कालोनी थाना माडल टाउन पानीपत, हरियाणा।
2. राहुल पुत्र देवनारायण निवासी गावडी थाना परतापुर मेरठ।
3. राहुल पुत्र सत्यवान नि0 सिसरौली थाना रोहतक, हरियाणा
4. रविन्द्र पुत्र सोमवीर नि0 भावदौडा थाना असौडा झज्जर, हरियाणा।
5. सोनू पुत्र हरीराम नि0 वार्ड नं0–11 सैनी गढी मौहल्ला व कस्बा खरखौदा, सोनीपत हरियाणा।
6. लवजीत पुत्र संजू सिंह नि0 कृष्णानगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद।
7. मोनू पुत्र राजेन्द्र नि0 सैदपुर थाना भोजपुर, गाजियाबाद।
8. अंकुर पुत्र शौरन सिंह नि0 डिफेन्स कालोनी, मोदीनगर, गाजियाबाद।

बरामदगीः

1. 120 पेटी अग्रेंजी शराब हरियाणा मार्का
2. 01 कन्टेनर गाडी नं0– यूपी–65टी–6612
3. 01 स्विफट कार नं0–एचआर–79–8623
4. 01 वर्ना कार नं0–एचआर–29एडी–5454
5. 01 स्विफट कार नं0 डीएल–5सीजे–7693
6. 12,500/– रूपये नगद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान</u>

दिनांक 22.02.2021, समयः—11.30 बजें, स्थान— मोहिद्दीनपुर—गॉवडी रोड, थाना परतापुर, मेरठ ।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी, जिसके सम्बन्ध में श्री अभिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट मेरठ की टीम को विश्वस्त सूत्रों एवं मुखबिरों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि हरियाणा राज्य से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है जो पश्चिमी उ0प्र0 के जनपद मेरठ के अतिरिक्त सीमावर्ती जनपदों में ले जाकर सप्लाई की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 22.04.2021 को विश्वस्त सूत्रों एवं मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 1.बलवान पुत्र श्रीकृष्ण नि0 म0नं0 1104 हरीनगर कालोनी थाना माडल टाउन पानीपत, हरियाणा, 2.राहुल पुत्र देवनारायण निवासी गावडी थाना परतापुर मेरठ, 3. राहुल पुत्र सत्यवान नि0 सिसरौली थाना रोहतक, हरियाणा, 4.रविन्द्र पुत्र सोमवीर नि0 भावदौडा थाना असौडा झज्जर, हरियाणा, 5.सोनू पुत्र हरीराम नि0 वार्ड नं0—11 सैनी गढी मौहल्ला व कस्बा खरखौदा,सोनीपत हरियाणा, 6.लवजीत पुत्र संजू सिंह नि0 कृष्णानगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, 7.मोनू पुत्र राजेन्द्र नि0 सैदपुर थाना भोजपुर, गाजियाबाद एंव 8.अंकुर पुत्र शौरन सिंह नि0 डिफेन्स कालोनी, मोदीनगर, गाजियाबाद पचांयत चुनाव के चलते हरियाणा राज्य से कन्टेनर एंव अपनी गाडियों से भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी कर ग्राम गावडी थाना परतापुर मेरठ में वार्ड नं0—18 के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी को सप्लाई देने के लिए आ रहें। मुखबिर की सूचना पर यकीन करते हुये व उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में

उ0नि0 संजय सोलंकी, हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 वीरबोस, हे0कां0 दीपक कुमार, हे0कां0 रवि वत्स, कान्स0 जानसन एंव कान्स0 अंकित शर्मा एसटीएफ मेरठ टीम का गठन कर मुखबिर को साथ लेकर मोहिद्दीनपुर रवाना हुए। मोहिद्दीनपुर से गॉवडी को जाने वालें तिराहें पर थाना परतापुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री नितिन कुमार मय हमराह फोर्स के वाहनों की चैकिंग करते हुए मिलें। स्थानीय पुलिस को मकसद से अवगत कराते हुए टीम गॉवडी रोड पर अपने वाहनों को छोडकर चले तो करीब 150—200 मीटर की दूरी पर सडक किनारे बायी तरफ बाग में सडक से करीब 80 मीटर की दूरी पर एक कैन्टर गाडी व 03 कार खडी दिखाई दी जिनमें से कुछ लोग कुछ सामान उतार रहें हैं, मुखबिर द्वारा बताया कि यही वह गाडियॅा हैं, जिसमें अवैध शराब लायी गयी हैं, और मुखबिर चला गया। टीम छिपते—छिपाते नजदीक से नजदीक पहुॅचकर एक साथ दबिश देकर 08 व्यक्ति व 03 कार व 01 कैन्टर को लोड—अनलोड स्थिति में 120 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया, जबकि 01 व्यक्ति मौके से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण में राहुल पुत्र देवनारायण उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मेरा चचेरा भाई दीपक पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम गॉवडी थाना परतापुर वार्ड—18 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड रहा हैं, वोटरों को लुभाने व अपने पक्ष में वोटिंग कराने की मंशा से शराब बॉटने के लिए मंगवाई गयी हैं, जो अभी मौके से भाग गया हैं। हरियाणा राज्य में मेरा मामा विक्की पुत्र ज्ञानचन्द्र नि0 ग्राम कुन्दल थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा हैं, जिसके पास हरियाणा राज्य में शराब के ठेके हैं जिनकी शराब तस्करों से जान पहचान हैं उन्ही के द्वारा यह शराब बलवान के माध्यम से शक्ति सिंह पुत्र जीतराम नि0 गोपालपुर थाना खरखौदा जनपद सोनीपत से भिजवाई गयी हैं। बलवान उपरोक्त व अन्य अभियुक्तों ने संयुक्त पूछताछ पर बताया कि साहब हरियाणा राज्य में शक्ति पुत्र जीतराम नि0 गोपालपुर थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा एक शराब का बडा तस्कर है, जो देश के विभिन्न राज्यों/जनपदों में हरियाणा से शराब की सप्लाई करता हैं। हम लोग पिछले एक सप्ताह में उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में शक्ति सिंह के कहने पर शराब उतार चुके है। शक्ति सिंह हमें अन्य राज्यों में शराब पहुॅचाने की

एवज में 100 रूपयें प्रति पेटी व रास्ते का खर्चा देता हैं। हरियाणा में नाईट ब्लू की एक पेटी 1500 रूपयें में पडती हैं, जिसमें हम अन्य राज्यों में 2800 से 3000/—में बेच देते हैं। आज हम लोग शक्ति सिंह के कहने पर यहां कैन्टर व कारों में शराब छिपाकर उतारने के लिए आये थें, कि आप लोगों ने पकड लिया। हम इन गाडियों को प्रयोग हरियाणा से शराब लाने में करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना परतापुर जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 246/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

———————